(16)

(27)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आर.के.मिश्रा,**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3818/एक-12 विरूद्ध आदेश दिनांक 04-09-2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म0प्र0 प्रकरण क्रमांक 441/अपील/08-09.

रामसुन्दर गुप्ता पिता श्री हीराला गुप्ता
निवासी- चुरहट तहसील चुरहट जिला सीधी म0प्र0

.....आवेदक

बनाम

1. गोविन्द दास जायसवाल तनय श्री मनी जायसवाल
2. सुन्दर जायसवाल तनय श्री रामचन्द्र जायसवाल
3. मनोज उर्फ राजू केवट तनय छोटवा केवट
4. गेंदलाल जायसवाल तनय श्री रामचन्द्र जायसवाल
   निवासी- ग्राम चुरहट तहसील चुरहट जिला सीधी म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री मृत्युजंय प्रसाद व्दिवेदी अधिवक्ता, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 04/02/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म0प्र0 द्वारा पारित दिनांक 04-09-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य यह है कि तहसीलदार तहसील चुरहट जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक/अ-70/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 19-05-2008 के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक के अतिरिक्त अनावेदक सुंदरलाल, गेंदलाल, तथा मनोज

कुमार उर्फ राजू ने भी एक साथ दायर किया था जिसमें संयुक्त आदेश पारित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी चुरहट ने दिनांक 06-05-2009 को जो आदेश पारित कर अपील खारिज की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 441/अपील/08-09 को दर्ज दिनांक 04-09-2012 को आदेश पारित अपील खारिज की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक गोविन्ददास द्वारा तहसीलदार चुरहट के समक्ष सीमांकन आदेश दिनांक 19-3-2004 के आधार पर अवैध कब्जा हटाने के लिए संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अनावेदक क्रमांक 1 गोविन्ददास ने समय-सीमा के अन्दर बेदखली हेतु आवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया है। तहसीलदार ने जांच उपरांत आवेदक का अवैध कब्जा पाया तथा आधिपत्य वापस अनावेदक क्रं 1 को दिलाये जाने बावत आदेश प्रदान किया। तहसीलदार द्वारा सीमांकन उपरांत अवैध कब्जा पाया था। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। आवेदक द्वारा इस न्यायालय में कोई नये तथ्य पेश नहीं किये हैं जिनके आधार पर अवैध कब्जा स्थिर रखा जा सके।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अस्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 4-9-2012 स्थिर रखा जाता है।

04/02/2019

(आर.के.मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर